झारखण्ड के बुण्डू प्रखण्ड के ताऊ एवं एदेलहातु पंचायत में ग्राम पंचायत के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन

पीएच.डी. पंजीयन हेतु प्रस्तावित
शोध प्रबंध का प्रारूप

सामाजिक विज्ञान संकाय

राजनीति विज्ञान विभाग

राँची विश्वविद्यालय, राँची।

शोध निदेशक
डॉ0 स्मिता किरण टोप्पो
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय,
कोकर, राँची

शोधार्थी
सुरेश कुमार गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीतिक विज्ञान विभाग
पाँच परगना किसान महाविद्यालय, बुण्डू
राँची विश्वविद्यालय, राँची
Mob.- 9835109916

झारखण्ड के बुण्डू प्रखण्ड के ताऊ एवं एदेलहातु पंचायत में ग्राम पंचायत के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन

आजादी के बाद से ही भारत में ग्रामीण विकास पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का भी मानना था कि जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए सभी क्षेत्रों (शहरी एवं ग्रामीण) का सम्मिलित एवं एकतापूर्ण सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का होना आवश्यक है; (ए.आर देसाई)। भारत गाँवों का देश है। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। जनगणना रिपोर्ट, 2011 के अनुसार, भारत की 70% आबादी गाँवों में निवास कर रही है। इतनी बड़ी ग्रामीण आबादी को विकसित किए बिना भारत को कैसे विकसित बनाया जा सकता हैं, यह एक प्रश्न है।

ग्रामीण विकास दो शब्दों से मिलकर बना है– ग्रामीण तथा विकास। गाँवों में निवास करने वाली आबादी ग्रामीण कहलाती है। ग्रामीण आबादी का विकास ही ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास के जो मूलभूत तत्व हैं, वे इस प्रकार हैं– सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, बिजली, पानी, कृषि, हाट–बाजार आदि। प्राचीन भारत अथवा प्राक ब्रिटिश भारत में गाँव का बाहरी दुनिया से कोई सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक सम्पर्क नहीं था। इसलिए गाँव के लोगों का मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहीं हो सका। इसके विपरीत शहरों या नगरों में बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, कलाकारों आदि का जमावड़ा रहता था। गाँव से प्राप्त लाभ को शहरों में उपयोग किया जाता था। गाँव के लोग अंध विश्वासी, धार्मिक रहस्यवादी, कम ज्ञानी होते थे। (ए.आर देसाई)।

सामान्य मानवीय जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उनके इस अभाव को दूर करने के लिए ही पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी जे अबदुल कलाम ने ग्रामीण विकास हेतु PURA (Providing urban Amenities in Rural Areas)

नामक अवधारणा विकसित की थी। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य था शहरी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होना।

ग्रामीण विकास के अन्तर्गत न केवल भौतिक सुख सुविधाओं का विकास शामिल है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास भी सम्माहित है अर्थात् गाँव के लोगों का चहुमुँखी विकास शामिल है। इस चहुमुँखी विकास का सीधा संबंध ग्राम पंचायत से है। ग्राम पंचायत भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनप्रतिनिधित्व से सुसज्जित महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है। ग्राम पंचायत के माध्यम से ही गाँव के लोग स्वयं निर्णय करते हैं कि उनकी जरूरतें क्या है, उसे पूरा कैसे किया जा सकता है और ग्राम प्रशासन किस तरह का होना चाहिए? अपने गाँव की योजना वे स्वयं बनाते हैं और उन्हें लागू भी करते हैं। पंचायत लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक सशक्त उपकरण है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्वयं के ऊपर, स्वयं का शासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। पंडित जवाहर लाल नेहरू भी इस व्यवस्था को प्रोसाहित करते हुए कहे थे कि – ''गाँव वाले हजार गलती करें फिर भी सत्ता की बागडोर उनके हाथों में होनी ही चाहिए।''

पंचायती राजव्यवस्था को ग्रासरूट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इस पद्धति में शासन में लोगों की सहभागिता सही अर्थों में सुनिश्चित किया जाता है।

पंचायती राजव्यवस्था में ग्राम सभा एक संवैधानिक निकाय है। एक पंचायत के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के सभी लोग, जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित है, ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। ग्राम सभा की बैठक में ही गाँव के विकास हेतु योजना का चयन किया जाता है तथा पंचायत स्तर के सरकारी कर्मचारी के मार्ग निर्देशन में उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। अर्थात् गाँव के विकास का सारा दारोमदार पंचायत पर ही होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास का तात्पर्य केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि

समाज के हर क्षेत्र में जो यथास्थिति बनी हुई है, उससे आगे बढ़ना है। चाहे वह सामाजिक न्याय की बात हो या समानता कीं, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की बात हो, या फिर सद्भावना और सौहार्दपूर्ण संबंधों की, अंधविश्वासों को खत्म करने की बात हो या विश्वास बहाल करने व तार्किक बनने की हर पहलु पंचायत के विकास के अन्तर्गत समाहित हैं। अर्थात् पंचायत के कार्यों के अनेक पहलु हैं–

- सत्ता का लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण
- समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना
- सद्भावना और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना
- ग्रामीण नेतृत्व का निर्माण करना
- स्थानीय संसाधनों की समुचित जानकारी एवं प्रयोग करना
- संगठित जनशक्ति का समुचित प्रयोग करना
- ग्राम समुदाय का सर्वांगीण विकास करना।

झारखण्ड प्रदेश में जंगल, झाड़ो एवं गाँवों की बहुलता है। इसकी प्राकृतिक एवं भौगोलिक विविधता भी गाँवों के अनुकूल है। झारखण्ड में आज भी ऐसे गाँव हैं, जैसा कि ब्रिटिश पूर्व भारत में गाँव थे, जहाँ कि ज्ञान की न्यूनता थी, अंधविश्वासों की बहुलता थी, दुर्गम रास्ते थे, मानवीय जीवन के लिए जो मूलभूत जरूरतें होती हैं, वो भी नहीं है। आज भी ऐसा देखा जाता है कि अंधविश्वास में लोग अपनों के ही खून के प्यासे हो जा रहे हैं। ऐसे में झारखण्ड निर्माण के बाद से ही यहाँ ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। झारखण्ड सरकार ने कुछ विलंब से ही सही, पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु नियमित रूप से पंचायत चुनाव करा रही है। वर्तमान में झारखण्ड में 4402 ग्राम पंचायते है। इन्हें संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सौंपी जा रही हैं, जिनके माध्यम से

विकास की किरण को समाज के अंतिम पायदान पर जीवनयापन कर रहे व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। अब तो हर राजनीतिक दल भी यही दावा करते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं या विकास का लाभ पहुँचे।

अनुसंधान की समस्या :–

प्रस्तुत अनुसंधान के अध्ययन हेतु कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं –

- ग्रामीण विकास की स्थिति कैसी है?
- क्या ग्राम पंचायतें संवैधानिक स्तर मिलने के बावजूद ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को लागु करने में सक्षम हैं?
- क्या बुण्डू प्रखण्ड के ताऊ एवं एदेलहातु पंचायतों में पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को लागू करने में बेहतर कार्य किया गया है? या इन पंचायतों में ग्रामीण विकास की स्थिति वैसी ही है जैसी स्थिति चुनाव से पूर्व थी।
- चूँकि बुण्डू प्रखण्ड वामपंथी उग्रवाद से भी प्रभावित रहा है, तो क्या चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बुण्डू प्रखण्ड के ताऊ एवं एदेलहातु पंचायत ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू कर वामपंथी उग्रवाद तथा पलायन जैसी समस्याओं को रोक पाने में सफल रहे हैं?
- चुँकि यह अध्ययन दोनों पंचायतों के विकास एवं कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना चाहता है, इसलिए किस पंचायत ने ज्यादा बेहतर कार्य किया, कौन से कारक उसे अन्य पंचायत से अलग करते हैं इस बात का भी पता लगाना अनुसंधान की समस्या है।

साहित्य समीक्षा :–

1. **फिसकल इम्पावरमेंट ऑफ पंचायत्स इन इंडियाः रियल और रिटोरिक, (2009),** प्रस्तुत अंश एम. देवेन्द्र बाबु द्वारा संकलित है। यह द इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनोमिक चेंज, बंगलोर से प्रकाशित है। इसमें पंचायतों को मिलने वाले वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया गया है। आज भी पंचायती राज संस्थाएं राज्य एवं केन्द्र से मिलने वाली राशि पर ही निर्भर होती है। इनका राजस्व संग्रहण या कोष नगण्य होता है

2. **फंक्शनिंग ऑफ पंचायतीराज इन इंडिया, (2013)**, प्रस्तुत अंश रितेश द्विवेदी द्वारा संकलित है। गाँवों के विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावशाली क्रियान्वयन आवश्यक है। इसमें इस ओर संकेत दिया गया है कि पंचायतें संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं और जनसहभागिता का घोर अभाव है। ग्रामसभा को मजबूत बनाने, उचित कोष की व्यवस्था करने तथा महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

3. **सी युवराज, सर्म्पण चक्रवर्ती और एस के आचार्य, (2018),** रॉल, परफार्मेंस ऑफ पंचायत राज फॉर डेवलपेंमट ऑफ फार्मिंग एण्ड रूरल कम्यूनिटी इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आन्ध्रप्रदेश में इस बात की व्याख्या की गई है कि स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम स्तर के नेतृत्व को कुशल प्रशिक्षण दिया जाए, पंचायती राज संस्था के सदस्यों को ग्राम स्तर के समस्याओं की बेहतर जानकारी हो उन्हें उनके दायित्वों से अवगत कराया जाए। पंचायत के कार्यो में पारदर्शिता आने से ही पंचायतें उत्तरदायी हो सकती हैं।

4. **राजेश कुमार सिन्हा, (2018),** कैपिसीटी बिल्डिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीच्यूशन में इस बात पर बल दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने तथा उनकी क्षमता में बढ़ोतरी के लिए कुशल प्रशिक्षण अत्यावश्यक है।

5. **राजीव, (2018),** इंम्फोमेशन नीड ऑफ ग्राम पंचायत मेम्बर : ए स्टडी ऑफ कुरूक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना केन्द्र का होना आवश्यक है। इससे पंचायतवासियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कार्य का स्तर बढ़ेगा। सूचना के अभाव में वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए पंचायत में सूचना के स्त्रोत के तौर पर अखबार, टेलीविजन, पुस्तकालय, इंटरनेट आदि की व्यवस्था हो।

6. **हिलाल अहमद भट्ट, (2017),** नीड ऑफ इजुकेटेड लीडर फॉर पंचायती राज इन जम्मु एण्ड काश्मीर में विश्लेषित है कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को सही समय पर चयनित करने एवं उसे क्रियान्वित करने के लिए एक शिक्षित ग्राम जनप्रतिनिधि का होना आवश्यक है। शिक्षित जनप्रतिनिधि समस्याओं को समझने, नियंत्रित एवं संचालित करने में सहज होता है और वह लोगों को जागरूक भी करता रहता है।

7. **विजय सिंह, (2015),** पावर एण्ड फंक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीच्यूशन इन हिमाचल प्रदेश, में विश्लेषित है कि पर्यावरण संरक्षण एवं ग्राम विकास कार्यक्रम बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका होती है पंचायतस्तर के प्रशिक्षित जनप्रतिनिधियों में भविष्य में अच्छे नेतृत्व के निर्माण की प्रबल संभावना होती है।

उद्देश्य एवं अभिप्रेरणा

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य है–

(i) ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका का आकलन करना।

(ii) बुण्डू प्रखण्ड के ताऊ एवं एदेलहातु पंचायत में ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना।

(iii) ताऊ एवं एदेलहातु पंचायत में ग्रामीण विकास के समक्ष आ रही चुनौतियों का विश्लेषण करना।

(iv) स्थानीय नौकरशाही एवं जनप्रतिनिधियों से सुसज्जित बुण्डू प्रखण्ड के ताऊ एवं एदेलहातु पंचायत के बीच विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना।

अभिप्रेरणा :–

लोकतंत्र को धरातल पर उतारने हेतु जा 73 वाँ संविधान संशोधन किया गया, उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत होने के लिए शोधार्थी पंचायत को अपने अनुसंधान का प्रतिपाद्य विषय बनाने हेतु प्रेरित हुआ।

उपकल्पना :–

प्रस्तुत लघु शोध हेतु निम्नलिखित उपकल्पना का चयन किया गया है –

(i) झारखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन से ताऊ एवं एदेलहातु पंचायत में ग्रामीण विकास में तेजी आई है।

(ii) ताऊ एवं एदेलहातु पंचायत में चलाई जा रही ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का हाशिए पर रहने वाले समुदाय पर प्रभाव पड़ा है।

(iii) ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने में ताऊ एवं एदेलहातु पंचायत के जनप्रतिनिधियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

शोध प्रारूप एवं शोध पद्धति :–

प्रस्तुत शोध की प्रकृति अन्वेषणात्मक है। इस अनुसंधान में वर्णनात्मक, ऐतिहासिक एवं पुस्तकालय पद्धति का भी प्रयोग किया जाएगा।

तथ्य संकलन के उपकरण :–

प्रस्तुत शोध हेतु आँकड़े प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त किए जाएँगे। प्राथमिक स्त्रोत से आँकड़े संग्रहित करने हेतु दोनों पंचायतों से जुड़े उन दस्तावेजों का अवलोकन किया जाएगा, जिनमें ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का जिक्र है। ग्रामसभा की कार्यवाही के विवरण का अवलोकन किया जाएगा। अनुसूची एवं साक्षात्कार विधियों से भी प्राथमिक आँकड़े एकत्रित करने

की योजना है। इस हेतु दोनों पंचायतों से जुड़े 100 लोगों से अनुसूची प्रणाली से सूचना एकत्र की जाएगी। इसमें 50 लोग ताऊ पंचायत से तथा 50 एदेलहातु पंचायत से लिए जाएँगे। उन 50 लोगों में से 50% अर्थात् आधे महिला वर्ग से होंगे। महिला वर्ग तथा शेष लोगों में से स्तरित निदर्शन विधि से सभी वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की योजना है। चुँकि दोनों पंचायत एक ही प्रखण्ड के अन्तर्गत आते हैं, इसलिए एक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से साक्षात्कार विधि द्वारा आँकड़े एकत्रित करने की योजना है। साथ ही प्रखण्ड से जुड़े अन्य पदाधिकारियों से भी आवश्यकतानुसार साक्षात्कार विधि द्वारा तथ्य जुटाए जाएँगे। पंचायत सचिव, जो ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण सरकारी सेवक होता है, से भी साक्षात्कार विधि द्वारा सूचना एकत्रित किए जाएँगें। प्राप्त आँकड़ों व सामग्रियों का वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा विश्लेषण किया जाएगा।

संभावित अध्याय :–

प्रस्तुत शोध हेतु प्रस्तावित अध्याय इस प्रकार हैं :–

1. परिचय
2. भारत में पंचायती राज का इतिहास तथा भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था।
3. ताऊ पंचायत का परिचय तथा ग्रामीण विकास की स्थिति।
4. एदेलहातु पंचायत का परिचय तथा ग्रामीण विकास की स्थिति।
5. ताऊ एवं एदेलहातु पंचायतों में ग्रामीण विकास की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन।
6. ताऊ एवं एदेलहातु के ग्रामीण विकास के मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ।
7. क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ो का आनुभविक अध्ययन एवं विश्लेषण
8. निष्कर्ष एवं सुझांव।

अनुसंधान का महत्त्व :–

अनुसंधान के दौरान प्राप्त आँकड़ो के विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकलेगा, वह निश्चय ही ग्राम विकास या पंचायतों के विकास में लाभप्रद साबित होगा। क्योंकि पंचायतें न केवल विकास योजनाओं को कियान्वित करने वाली एजेंसियाँ है, बल्कि यह समाज में समानता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, सहभागिता, सहयोग, सदभावना, सौहार्द पूर्ण संबंध स्थापित करने का एक सशक्त संवैधानिक संस्था भी है। ग्राम पंचायतों के गठन से ग्रामीण नेतृत्व का भी उभार होता है, जो आगे चलकर राज्य की विधायिका व कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं। अनुसंधान के क्रम में इन सभी पहलुओं को छुने के बाद पंचायती राज व्यवस्थ के तहत विकास का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनुसंधान की प्रासंगिकता एवं सामाजिक अपेक्षाएँ:–

अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य पंचायतों के कार्यों की विवेचना करना है। चूँकि पंचायत में जो विकास कार्य किए जाते हैं वो किसी न किसी रूप में राजनीतिक दल से प्रभावित होते हैं। ग्राम पंचायतें राजनीतिक दलों से अछूता नहीं है। राजनीतिक दलों का ग्राम पंचायत के कार्यों में कितना सकारात्मक हस्तक्षेप होता है, इन सब का विश्लेषण किया जाएगा। इस विश्लेषण के निष्कर्ष निश्चय ही प्रासंगिक एवं समीचीन होंगे। अनुसंधान का यह सार्थक प्रयास होगा कि पंचायतों में वास्तविक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। समाज में समानता एवं न्याय स्थापित हो। समाज के अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति भी अपने को व्यवस्था में स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी, सहयोगी एवं सहभागी समझे।

वर्तमान ज्ञान में योगदान :–

यह ध्यात्व्य है कि कोई भी ज्ञान बिना अनुसांधन के सिद्धांत का रूप नहीं ले सकता है। चुँकि राजनीति विज्ञान का क्षितिज बहुत विशाल है। ऐसे में प्रस्तुत अनुसंधान निश्चय ही राजनीति विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों को परिष्कृत एवं परिमार्जित करने में अहम योगदान देगा।

भविष्य के कार्य :–

कोई भी सामाजिक शोध अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। शोध से जो निष्कर्ष निकलेंगे, वह निश्चित रूप से भविष्य में होने वाले संबंधित शोध में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथों की सूची

- अनुज, भुनेश्वर; (2000), अतीत के दर्पण में झारखण्ड, भुवन प्रकाशन
- इनामदार, एन आर; (1970), फंक्सनिंग ऑफ विलेज पंचायत्स, पोपुलर प्रकाशन, बाम्बे। एन.सी, कोरमैक डब्ल्यू; (1984), पार्टी पालिखिस इन पंचायत इन सोशल चेंज।
- उर्मिलेश; (1993), झारखण्डः जादुई जमीन का अंधेरा, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
- एस; के. के. (1961), पंचायतीराज : ए सिंथेसिस एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे
- कावेरी, जेसी एण्ड सिंह, बी.एन; (1967), हिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन मार्डन इंडिया; इंपेक्स इंडिया, न्यू डेल्ही।
- कोठारी रजनी; (सम्पा): (1970), कास्ट इन इंडिया, ओरिएन्ट लांगमैन, न्यू डेल्ही।
- कौटिल्या; (1956) अर्थशास्त्र, ट्रांसलेटेड बाय सोमाशास्त्री, रधुवीर प्रिंटिंग प्रेस, मैसूर।
- कौशिक, सुशील; (1995), पंचायतीराज इन एक्शन : चौलेन्जेंज टू वीमस रोल।
- गाँधी, एम. के ; (1952), रिव्यूलडिंग ऑवर विलेजेज, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस अहमदाबाद।
- गुरुमूर्ति, मू; (1987), पंचायती राज एण्ड द वीकर सेक्शन, आशिष पब्लिसिंग हाउस, न्यू डेल्ही।

➢ ग्रोवर, वी.पी (1972), पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इन राज, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, जयपुर।

➢ चन्द्रशेखर, बी.के. (सम्पा) (2000), स्टेट्स रिपोर्ट, 1999 टास्कफोर्स ऑन पंचायतीराज, राजीव गांधी फोउंडेशन, न्यूडेल्ही।

➢ चौधरी, एस.एन; (2004), दलित एण्ड ट्राइबलस लीडरशिप इन पंचायतस; कन्सेप्ट पब्लिसिंग, न्यू डेल्ही

➢ जयसवाल, के.पी.; (1943), हिन्दू पालिटी, ए कंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिन्दू टाइम्स वाराणसी।

➢ डिहीवर्ग, बी.एम, (1975), द पंचायती राज ऑफ इंडिया : डिबेट इन डेवलपिंग कन्ट्री, मिमिओ स्टॉकहोमः स्वीडेन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑथोरिटी।

➢ दत्त, बलवीर; (2005), कहानी झारखण्ड आंदोलन की, क्राउन पब्लिकेशन

➢ दत्त, महेश्वर; (2003), गाँधी का पंचायती राज, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशक दिल्ली विश्वविद्यालय

➢ देसाई, ए.आर, (1954) भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि,मैकमिलन, दिल्ली।

➢ देसाई, बसन्त; (1990), पंचायतीराज – पावट टू द पीपल, हिमाल्य, पब्लिशिंग न्यू डेल्ही।

➢ देसाई, बसन्त (1990), पंचायतीराज, पावर टूद पीपुल, हिमालया पहिलशिंग, न्यूडेल्ही।

➢ नेहरू, जवाहर लाल; (1942), ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जॉनडोम्स : न्यूयार्क

➢ पवार, मिनाक्षी; (1996), पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, क्लासिक पब्लिकेशन, नई दिल्ली

➢ पाल, सुधीर, झारखण्ड में ग्रामस्वराज मंथन युवा संगठन, राँची

- महतो, भूपाल कुमार; (2006), झारखण्ड एक अध्ययन, साहित्यभवन पब्लिकेशन
- मालवीय, एचडी; (1956), वीलेज पंचायत इन एन्सियंट इंडिया, इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल रिचर्स डिपार्टमेंट ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी, न्यू डेल्ही
- मिश्र, देवेन्द्र; (1996), पंचायतीराज का संगठन एवं कार्यप्रणाली, क्लासिक पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- रोमिला थापर; (1975) भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
- लकड़ा, बी.; ग्रामसभाः— हमारे गाँव में हमारे राज; एक्सआईएसएस, राँची
- वीरोत्तम, बी; (2003), झारखण्ड : इतिहास और संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना।
- शर्मा,एल पी; (1975) मध्यकालीन भारत, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पब्लिकेशन